

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र0स0 161/20 ता0रजु. 06.01.2020 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 07-02-2020

सरकार

बनाम


वलराम पुज द्वीतीया

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का खेडली गडाफिया ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम खेडली गडाफिया के खसरा नम्बर 1175, 1688 रकवा 0.05, 0.02 हैक्ट. किस्म भूमि चारागाह पर सम्बत 2076 में श्री वलराम पुज द्वीतीया, पति-प्रांतय विक्रम खेडली गडाफिया तह0 बयाना ने 0.07, 0.09 अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जबाव एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 1675, 1688 रकवा 0.07, 0.09 हैक्ट. वाके ग्राम खेडली गडाफिया से बेदखल किया जाता है। लगान 2.56 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 1281 रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/ अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 07-02-2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 तहसीलदार
 नायब तहसीलदार
 बयाना (भरतपुर)

इस प्रकरण का पत्रावली
 दिनांक 02/02/2020
 पत्रावली नं. 128/
 तहसीलदार
 बयाना